भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 3233**

(दिनांक 23.03.2022 को उत्तर के लिए)

**वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति**

**3233. श्री बी. मणिक्कम टैगोर** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के मध्य से वरिष्ठ प्रबंधक रैंक के अधिकारियों को पिछले छह वर्षों से पदोन्नति नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पदोन्नति देने के लिए कर्मचारियों ने अनेक अभ्यावेदन दिए थे, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को देय पदोन्नति को लागू करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)**

**(क) से (ङ) :** सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, सेवा की समाप्ति/बर्खास्तगी, मृत्यु आदि के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती है। इन रिक्तियों को संबंधित भर्ती नियमों, उनके अधीन बने विनियमों आदि और विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार फीडर ग्रेड से अधिकारियों की पदोन्नति सहित नियुक्ति की निर्धारित पद्धतियों के माध्यम से भरा जाता है। जहां तक केंद्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों की पदोन्नति का संबंध है इसमें कई मुकदमें चल रहे हैं और उनमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तथापि, सरकार का यह प्रयास है कि वह जहां तक संभव हो सके यथाशीघ्र पदोन्नति करे।

*****